

अभ्यर्थी के चयनित होने की दशा में, निम्न प्रमाण-पत्र (1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 (यदि लागू हों)) उसे काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

### प्रमाण-पत्र संख्या - 1 (O.B.C.)

(कार्मिक अनु०-२ के शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टी.सी.-III-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014)

#### उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....सुपुत्र/ सुपुत्री .....  
निवासी .....ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य  
की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम-1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है) से आच्छादित नहीं है। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम :.....तहसील.....नगर..  
जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर.....  
दिनांक : पूरा नाम.....  
मुहर : पदनाम.....  
.....जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी  
.....मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

### प्रमाण-पत्र संख्या - 2 (S.C./S.T.)

#### उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....सुपुत्र/ सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....  
तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम :.....तहसील.....नगर..  
जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर.....  
दिनांक : पूरा नाम.....  
मुहर : पदनाम.....  
.....जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना  
अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/  
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

### प्रमाण-पत्र सं0-3 (F.F.)

(शासनादेश संख्या : 4/3/82-का-2-1997 दिनांक 26 दिसम्बर, 1997)

#### स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).....पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपरांकित 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....के आश्रित हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी (सील)

### प्रमाण-पत्र संख्या 4 – (M.P.)

#### सैनिक आश्रित का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों तथा पैरा मिलिट्री फोर्स जिसमें रिजर्व बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स, सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स, इडो तिब्बती बार्डर पुलिस समिलित है, के सैनिकों, जो युद्ध या संघर्ष में अक्षत हो गये हैं, अथवा मारे गये हैं, के पुत्र एवं पुत्रियों द्वारा देय प्रमाण-पत्र जो कि सेवारत/भूतपूर्व सैनिक के उस यूनिट के आफिसर कमांडिंग के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिस यूनिट में वह कार्यरत हो अथवा सबसे अन्त में रहा हो अथवा पैरा मिलिट्री फोर्स का सैनिक युद्ध या संघर्ष में अक्षम हो गया हो या मारा गया हो। केवल सेवानिवृत्त सैनिक के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड के सचिव द्वारा भी प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....(अभ्यर्थी का पूरा नाम) सेवारत/भूतपूर्व सैनिक/पैरा मिलिट्री फोर्स का संघर्ष या युद्ध में अक्षम या मारे गये सैनिक श्री.....के पुत्र/पुत्री हैं। श्री.....(सैनिक का नाम) यूनिट में.....पद पर दिनांक.....से.....तक कार्यरत थे/हैं। पैरा मिलिट्री.....की यूनिट में संघर्ष या युद्ध में अक्षम रहे या मारे गये हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
तिथि.....  
पद.....  
सील.....

### प्रमाण-पत्र संख्या- 5

#### केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की सन्तान का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

नोट :- 1. केवल उन अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर से हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जिनके पिता उत्तर प्रदेश के किसी केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत हों।

2. यह प्रमाण-पत्र केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष (हेड आफ दि आफिस) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....(अभ्यर्थी का पूरा नाम) के पिता श्री.....केन्द्रीय सरकार के कार्यालय.....में.....पद पर कार्यरत हैं। यह कार्यालय उत्तर प्रदेश के.....जनपद में स्थित है।

दिनांक: .....  
हस्ताक्षर

स्थान: .....  
नाम.....

पदनाम.....  
कार्यालय का नाम तथा पूरा पता

### **प्रमाण-पत्र संख्या- 6**

उत्तर प्रदेश से बाहर के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रवासी उम्मीदवार द्वारा पेश किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....पुत्र/ पुत्री.....निवासी  
गांव/ शहर.....जिला/ मण्डल.....राज्य/ संघ शासित क्षेत्र.....की.....जाति/ जनजाति  
का/ की है, जो संविधान के आदेश के अधीन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति घोषित की गई है।

यह प्रमाण-पत्र श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....को उसके पिता/ माता श्री/ श्रीमती.....निवासी  
गांव/ शहर.....जिला/ मण्डल.....राज्य/ संघ शासित क्षेत्र.....दिये गये अनुसूचित जाति  
/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया है और.....जाति/ जनजाति के हैं जिसे  
राज्य/ संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।

(निर्धारित पदाधिकारी का नाम).....द्वारा आपके पत्र या.....दिनांक.....के  
अन्तर्गत जारी किया गया है।

स्थान :

राज्य/ संघ शासित क्षेत्र :

दिनांक :

कृपया राष्ट्रपति के सम्बन्धित आदेश का उल्लेख करें।

हस्ताक्षर :

पद

मुहर

### **प्रमाण-पत्र संख्या- 7**

कार्यालय जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी ..... जनपद .....

### **सामान्य निवास प्रमाण-पत्र**

(केवल सेवायोजन/ शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थी)

कार्यालय उपजिलाधिकारी ..... जनपद ..... तहसीलदार श्री .....  
..... की आख्या दिनांक ..... के एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है  
कि :-

श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....  
पुत्र/ पुत्री/ पति श्री .....  
निवासी मकान नम्बर .....  
ग्राम/ मोहल्ला .....  
थाना ..... जनपद .....  
उत्तर प्रदेश का/ की निवासी है।  
व उनका वर्तमान पता ..... है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा कराई गई सूचना तथा इनसे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

**नोट :-** उपर्युक्त प्रमाण-पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह हो अथवा इन पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर

उपजिलाधिकारी

.....  
.....